[2011] 11 एस. सी. आर 808

राजस्थान राज्य एवं अन्य

बनाम

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के क्षेत्राधिकार, द्वारा महानिबन्धक

(सिविल अपील संख्या–8523–24 सन 2011)

11 अक्टूबर, 2011

[आर. वी. रवींद्रन और ए. के. पटनायक, जे. जे]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954–खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति– धारित शक्ति– निर्णीत : धारा 9 राज्य सरकार को ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है जिन्हें वह उचित समझती है, जिनके पास उन्हें निर्धारित किये गए स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य निरीक्षक बनने के लिए निर्धारित योग्यताएं हैं, जैसा कि नियम 8 के तहत निर्धारित है। कृत्रिम दूध के निर्माण और बिक्री के संबंध में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उत्पादों के नमूने लेने और परीक्षण के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद, एक रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने एक परमादेश जारी किया गया जिसके अनुसार राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों के स्थान पर स्वच्छता निरीक्षकों या अन्य नियमित नियुक्तियों को खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त करेगी जो सही नहीं था। राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती थी। यदि उच्च न्यायालय ने पाया कि चिकित्सा अधिकारियों को खाद्य निरीक्षण और नमूनाकरण कार्य में प्रशिक्षित नहीं किया गया था, यह निर्देशित कर सकती है कि चिकित्सा अधिकारियों को खाद्य निरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रकार, 34 पदों के विरुद्ध खाद्य निरीक्षकों की रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में एवं स्वच्छता निरीक्षक को बतौर खाद्य निरीक्षक नियुक्त किये जाने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश रद्द किया जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 – नियम 8।

राज्य के कुछ जिलों में सिंथेटिक दूध के निर्माण और बिक्री के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुये रिट याचिका में, जिले के कलेक्टर उच्च न्यायालय के निर्देश पर उपस्थित हुए। जिनके द्वारा जवाब दाखिल किया कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने उत्पाद के नमूने लेने और परीक्षण के संबंध में कार्रवाई शुरू की। उच्च न्यायालय ने पाया कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों और उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य

अधिकारियों को खाद्य निरीक्षक की शक्तियां प्रदान की गई थीं, हालांकि उनके पास खाद्य निरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण नहीं था; और खाद्य निरीक्षकों के 34 पद खाली पड़े थे। उच्च न्यायालय ने 34 पदों पर खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति का निर्देश दिया और नियमित नियुक्ति होने तक स्वच्छता निरीक्षकों और अपेक्षित योग्यता रखने वाले अन्य लोगों को खाद्य निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। इसलिए, अपीलकर्ता–राज्य ने अविलम्ब अपील दायर की।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अवधारित किया गया कि–

धारा 9 की उपधारा (1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारित योग्यता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है । ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य निरीक्षक बनना, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपा जा सकता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का नियम 8 खाद्य निरीक्षकों की योग्यता निर्धारित करता है और इसके खंड (अ) में कहा गया है कि स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य है। खंड (ब) और (स) में चिकित्सा में स्नातक जिसने खाद्य निरीक्षण और नमूनाकरण कार्य में कम से कम एक महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में एक विषय के रूप में स्नातक या कृषि या सार्वजनिक स्वास्थ्य या फार्मेसी में स्नातक हो। पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक या खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक या किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा भारत में विधि द्वारा स्थापित या समकक्ष योग्यता रखने वाला और खाद्य निरीक्षण और नमूनाकरण कार्य में तीन महीने का संतोषजनक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति खाद्य निरीक्षक बनने के लिए भी योग्य है। इसलिए राज्य सरकार किसी स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। यदि उच्च न्यायालय ने पाया कि चिकित्सा अधिकारियों को खाद्य निरीक्षण और नमूनाकरण कार्य में प्रशिक्षित नहीं किया गया है, तो वह यह भी निर्देश दे सकता है कि चिकित्सा अधिकारियों को खाद्य निरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन उच्च न्यायालय बाध्य करने वाला कोई परमादेश जारी नहीं कर सकता था। राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों के स्थान पर स्वच्छता निरीक्षकों या खाद्य निरीक्षकों के रूप में अन्य नियमित भर्ती करेगी। आक्षेपित आदेश में 34 पदों पर खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति का निर्देश देने और इस बीच स्वच्छता निरीक्षकों को खाद्य निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने का निर्देश अपास्त किया जाता है।–[प्रस्तर 7 और 8) [815–सी–एच; 816–ए–डी]

डिविजनल मैनेजर, अरावली गोल्फ क्लब एवं अन्य बनाम चंदर हास और अन्य,**(2008) 1 एस०सी०सी 683: 2007 (12) एस०सी०आर 1084 – संदर्भित।**

केस लॉ संदर्भ:

2007 (12) एस०सी०आर० 1084 संदर्भित प्रस्तर 7

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8523–8524 सन 2011

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 2677 सन 2005 में राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 02.03.2007 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से डॉ. मनीष सिंघवी, ए0ए0जी0 एवं आर. गोपालकृष्ण।

प्रतिवादी की ओर से बी०डी० शर्मा

ए.के. पटनायक,जे. –

द्वारा न्यायालय का निर्णय उदघोषित किया गया। अनुमति स्वीकृत।

2. प्रस्तुत अपीलें, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खण्ड पीठ द्वारा डी०बी० सिविल रिट याचिका संख्या 2677/2005 में पारित आदेशों दिनांकित 02.03.2007 और 19.03.2007 के विरूद्ध योजित की गयी हैं।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राज्य में अलवर और भरतपुर जिलों में कृत्रिम दूध के निर्माण और बिक्री के बारे में दिनांक 04.4.2005 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2005 को स्वतः संज्ञान लेते हुये डी०बी० सिविल रिट पिटीशन नंबर 2677 सन 2005 में अलवर और भरतपुर जिलों के कलेक्टरों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया है। कलेक्टर, अलवर ने उच्च न्यायालय के समक्ष सूचित किया गया कि तथ्य प्रकाशित होने के अगले दिन ही, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा कार्रवाई शुरू की गयी एवं निरीक्षण दल ने उत्पाद के नमूने लिए थे और नमूने प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे गए थे। दिनांक 02.03.2007 को, उच्च न्यायालय ने पाया कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों और उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को खाद्य निरीक्षक की शक्तियों के साथ निहित किया गया था, परन्तु उनको खाद्य निरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 02.03.2007 में यह भी वर्णित किया कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है जिस हेतु मुख्यालय में रहना पड़ता है और वह खाद्य निरीक्षक के पद के कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से नहीं निभा सकते है। उच्च न्यायालय के मतानुसार कि राज्य सरकार को पर्याप्त संख्या में खाद्य

निरीक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, जिसके बिना खाद्य अपमिश्रण निवारण के खतरे की जाँच नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने प्रकरण को दिनांक 19.3.2007 हेतु नियत करते हुये निर्देश दिया कि प्रधान सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को उस दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए।

4. दिनांक 19.3.2007 को, उच्च न्यायालय ने पाया कि खाद्य निरीक्षकों के34 पद थे एवं सभी रिक्त थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु मांग प्रेषित कर दी गयी थी , परन्तु वित्त विभाग द्वारा पदों के नाॅन प्लान पद होने के कारण मंजूरी नहीं दी गयी थी । उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 19.03.2007 के द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को खाद्य निरीक्षकों के 34 पदों के खिलाफ नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया और साथ ही वित्त विभाग को तकनीकी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया न रोकने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 19.03.2007 के द्वारा यह भी निर्देश दिया कि नियमित नियुक्ति होने तक, सेनेटरी इंस्पेक्टर और अन्य जो अपेक्षित योग्यता रखते हैं, उन्हें खाद्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है ताकि खाद्य संवर्धन अधिनियम और नियमों की रोकथाम के प्रावधान ठीक से कार्यान्वित किये जा सके।

5. राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान अति० अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंहवी द्वारा कथन किया गया कि खाद्य अपमि&ण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अनुसार यह अधिकार राज्य सरकार का है कि वह खाद्य निरीक्षक के पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करे तथा यह अधिकार राज्य सरकार का है कि कितने पदों पर नियुक्ति होनी चाहिये एवं उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को खाद्य निरीक्षक के 34 पदो पर नियुक्ति करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण निवारण नियमावली, 1955 का नियम 8 खाद्य निरीक्षक पद हेतु अधिनियम की धारा 9 के तहत आवश्यक योग्यता निर्धारित करता है एवं स्थानीय क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को खाद्य निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित नही किया जा सकता था कि चिकित्सा अधिकारियो, खाद्य निरीक्षक के पद पर कार्य नहीं कर सकता है।

6. खाद्य अपमिश्रण निवारण निवारण अधिनियम, 1954 की रोकथाम की धारा 9 (संक्षेप में " अधिनियम ") और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों की रोकथाम के नियम 8, 1955 (संक्षेप में " नियम ") इस प्रकार है :

" खाद्य प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 9

9. खाद्य निरीक्षक: – (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित अर्हताओं वाले ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझती है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी जैसे उन्हें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाएं : परन्तु इस धारा के अधीन किसी भी ऐसे व्यक्ति को खाद्य निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा

जिसका किसी खाद्य पदार्थ के विनिर्माण, आयात या विक्रय में कोई वित्तीय हित है ।

(2) प्रत्येक खाद्य निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा और ऐसे प्राधिकारी का शासकीय रूप से अधीनस्थ होगा जिसे उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों की रोकथाम का नियम 8, 1955

8. खाद्य निरीक्षक के लिए योग्यता – एक व्यक्ति को खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं है जबतक वह व्यक्ति –

(अ) एक स्थानीय क्षेत्र के प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी हो; या

(ब) वह चिकित्सा के क्षेत्र में स्नातक हो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित खाद्य निरीक्षण और नमूना कार्य में कम से कम एक महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो; या

(स) रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में एक विषय के रूप में एक स्नातक है या कृषि या सार्वजनिक स्वास्थ्य या फार्मेसी में स्नातक या पशु चिकित्सा विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक है या डेयरी प्रौद्योगिकी या विधि द्वारा भारत में स्थापित विश्वविद्यालय या संस्थान से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी में एक डिप्लोमा धारक है या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित समकक्ष योग्यता है इस प्रयोजन के लिए और खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के तहत या केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित संस्थान में खाद्य निरीक्षण और नमूना कार्य में तीन महीने का संतोषजनक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो:

बशर्ते कि खाद्य निरीक्षण और नमूना कार्य में प्रशिक्षण, नियम 3, खाद्य अपमिश्रण निवारण की रोकथाम (चौथा संशोधन) नियम, 1976 के प्रारम्भ से पहले,निम्न वर्णित प्रयोगशाला में प्राप्त किया–

(i) अधिनियम के तहत नियुक्त एक सार्वजनिक विश्लेषक; या

(ii) ग्रेट ब्रिटेन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री द्वारा (शाखा ई); या

(iii) कोई भी निदेशक, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, या

खाद्य अपमिश्रण निवारण की रोकथाम (संशोधन) नियम 1980 के प्रारम्भ होने से पहले, खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के तहत प्राप्त प्रशिक्षण, इन नियमों के तहत अपेक्षित प्रशिक्षण के उद्देश्य के बराबर माना जाएगा :

आगे यह उल्लिखित किया गया है कि एक व्यक्ति जो एक योग्य सेनेटरी इंस्पेक्टर है, जिसके पास एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए अनुभव है और उसे कम से कम तीन महीने(लगातार अथवा आंशिक तौर पर) प्रशिक्षण प्राप्त है दिनांक 31.03.1985 तक खाद्य निरीक्षण और नमूना कार्य में, खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है, और इस तरह जारी रह सकता है जैसे कि नियुक्त किया गया हो, भले ही वह खंड (अ) से (स) में निर्धारित योग्यता को पूरा न करता हो :

बशर्ते कि इस नियम में किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा, जो खाद्य पदार्थों की रोकथाम (संशोधन) नियमों, 1980 के प्रारंभ पर खाद्य निरीक्षक है एवं प्रारम्भ होने के बाद भी जारी है। "

7. अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित अर्हताओं वाले ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह ठीक समझती है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य निरीक्षक नियुक्त कर सकती है । नियम 8 में खाद्य निरीक्षकों की योग्यता निर्धारित करती है जिसके अनुसार (क) स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन के प्रभारी, खाद्य निरीक्षक की नियुक्ति के लिए योग्य है। उप नियम (ब) और (स) ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सा में स्नातक जिन्होंने खाद्य निरीक्षण और नमूना कार्य में कम से कम एक महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक हैं कृषि या सार्वजनिक स्वास्थ्य या फार्मेसी में या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक या खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक या खाद्य प्रौद्योगिकी या डायरी प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा धारक भारत में विधि द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय या संस्थान या समकक्ष योग्यता और खाद्य निरीक्षण में तीन महीने का संतोषजनक प्रशिक्षण प्राप्त किया है और नमूना कार्य भी एक खाद्य निरीक्षक होने के लिए योग्य है, इसलिए राज्य सरकार एक स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन के प्रभारी एक चिकित्सा अधिकारी को खाद्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। यदि उच्च न्यायालय पाती है कि चिकित्सा अधिकारियों को खाद्य निरीक्षण और नमूना कार्य में प्रशिक्षित नहीं किया गया था, तब उच्च न्यायालय चिकित्सा अधिकारियों को खाद्य निरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर सकती है,परन्तु उच्च न्यायालय राज्य सरकार को यह निर्देशित नहीं कर सकती थी कि चिकित्सा अधिकारियों को स्वच्छता निरीक्षक अथवा अन्य नियमित नियुक्तों से खाद्य निरीक्षक

के पद हेतु प्रतिस्थापित किया जाये । इस न्यायालय द्वारा डिवीजनल मैनेजर, अरावली गोल्फ क्लब एवं अन्य बनाम चन्दर हास एवं अन्य [(2008) 1 SCC 683] के पेज नम्बर 688 के पैरा 5 में अवधारित किया गया है कि–

"न्यायालय पदों के सृजन का निर्देश नहीं दे सकता है। पदों के सृजन और अनुमोदन कार्यपालकों एवं विधायिका का विशेषाधिकार है और न्यायालय विशुद्ध रूप से कार्यपालकों या विधायिका का कार्य खुद नहीं कर सकती है एवं किसी भी संस्था में पदों के सृजन हेतु निर्देशित नहीं कर सकती है। इस न्यायालय द्वारा समय–समय पर यह निर्धारित किया है कि पदों का सृजन शासनात्मक और वैधानिक कार्य है जिसमे वित्तीय कारक अंतर्निहित है। न्यायालय स्वयं पद सृजित करने का अधिकार नहीं ले सकती है। "

8.अतः खाद्य निरीक्षक के 34 पदों पर नियुक्ति व स्वच्छता निरीक्षक को खाद्य निरीक्षक के पद पर नियुक्त करने का आदेश अपास्त किया जाता है एवं अपीलें स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

एन.जे. अपीले स्वीकृत।

Vetted by:

(Shailendra Yadav)
A.D.J (C.A.W), Kanpur Nagar.